

संचिका संख्या-01/बजट-54/2025-283
बिहार सरकार,
गन्ना उद्योग विभाग

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक

अगस्त, 2025

विषय : वित्तीय वर्ष 2025-26 में बिहार राज्य चीनी निगम लि., पटना मुख्यालय एवं अन्य इकाईयों के कार्यालय व्यय, वकीलों के विपत्र भुगतान, निगम मुख्यालय के काम चलाने हेतु कर्मियों का वेतन, भाड़े पर वाहन का भुगतान एवं अंकेक्षण शुल्क इत्यादि व्यय अन्तर्गत सहायक अनुदान-वेतन मद में उपबंधित राशि मो. 83,19,000/- (तेरासी लाख उन्नीस हजार) रु० भुगतान की स्वीकृति के संबंध में।

आदेश : स्वीकृत।

2. वित्तीय वर्ष 2025-26 में बिहार राज्य चीनी निगम लि., पटना मुख्यालय एवं अन्य इकाईयों के कार्यालय व्यय, वकीलों के विपत्र भुगतान, निगम मुख्यालय के काम चलाने हेतु कर्मियों का वेतन, भाड़े पर वाहन का भुगतान एवं अंकेक्षण शुल्क इत्यादि व्यय अन्तर्गत सहायक अनुदान-वेतन मद से संबंधित व्यय हेतु मो. 83,19,000/- (तेरासी लाख उन्नीस हजार) रु० मात्र भुगतान की स्वीकृति दी जाती है।
3. इस राशि का निकासी वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में आय-व्ययक शीर्ष-2852-उद्योग-उप मुख्य शीर्ष-08-उपभोक्ता उद्योग-लघु शीर्ष-201-चीनी-मॉग संख्या-45-उप शीर्ष-0001-चीनी निर्माणशाला नियंत्रण ऐक्ट, 1937 से संबंधित व्यय-मुख्यालय विपत्र कोड-45-2852082010001 अंतर्गत 0001.31.04-सहायक अनुदान-वेतन के मूल उपबंध में प्रावधानित राशि से विकलनीय होगा।
4. स्वीकृत राशि की निकासी विशेष कार्य पदाधिकारी-सह- निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना द्वारा सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से बैंक अंतरण के द्वारा प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य चीनी निगम लि., पटना (Bihar State Sugar Corporation Ltd., Patna, Bank Name-Canara Bank, Boring Road, Patna, Account No.- 120014933265, IFSC Code.- CNRB0001967) को भुगतान किया जायेगा।
5. वित्त विभाग के पत्रांक 2561/वि.2) दिनांक 17.04.1998 के आलोक में स्वीकृत किया जा रहा है तथा वित्त विभाग के पत्रांक-7355 दिनांक-05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार से प्राधिकार-पत्र की आवश्यकता नहीं है।
6. वित्त विभाग के संकल्प संख्या-12888 दिनांक-03.12.2024 के आलोक में राशि के प्रस्ताव पर सचिव, गन्ना उद्योग विभाग की स्वीकृति प्राप्त है।
7. प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार, गन्ना उद्योग विभाग की सहमति प्राप्त है।

विश्वासभाजन

(अनिल कुमार झा)
ईखायुक्त, बिहार।

कृ०पृ०उ०

ज्ञाप संख्या-01/बजट-54/2025- 283 सी/ए पटना, दिनांक 20 अगस्त, 2025
प्रतिलिपि: वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अनिल कुमार झा)
ईख आयुक्त, बिहार।

ज्ञाप संख्या-01/बजट-54/2025- 283 सी/ए पटना, दिनांक 20 अगस्त, 2025
प्रतिलिपि कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अनिल कुमार झा)
ईख आयुक्त, बिहार।

ज्ञाप संख्या-01/बजट-54/2025- 283 सी/ए पटना, दिनांक 20 अगस्त, 2025
प्रतिलिपि: विशेष कार्य पदाधिकारी-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/लेखा शाखा (दो प्रतियों में), गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अनिल कुमार झा)
ईख आयुक्त, बिहार।

ज्ञाप संख्या-01/बजट-54/2025- 283 सी/ए पटना, दिनांक 20 अगस्त, 2025
प्रतिलिपि: सचिव, गन्ना उद्योग विभाग के प्रधान आप्त सचिव/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य चीनी निगम लि., पटना/ईख आयुक्त, बिहार, पटना के निजी सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अनिल कुमार झा)
ईख आयुक्त, बिहार।